

5/7/2021 वकील वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई का
 आ. पर पेश किया जिसे वकील प्रतिवादी
 ने 10000/- किया जाने से पश्चावकी लीके
 से तलब भी गई। वकील प्रतिवादी ने सफ्त
 पेश नहीं करवा पाएते ही जो स्वीकार किया
 जाकर सफ्त प्रतिवादी बन्द ही गई।

वकील वादी एवं प्रतिवादी द्वारा बहल
 सुनवनेपैरा करने हेतु निवेदन किया। बहल सुनी
 गई। पश्चावकी का अक्लोकन किया गया।
 वादिद्वय का वाद स्वीकार किया जाकर।
 आदेश प्रकृत से इस्ति कराया गया। पश्चावकी
 फेदल शुमा टोकल नभर हे कम हे।

उपदण्ड अधिकारी
 भदोरा, जिला-चित्तौड़गढ़

